

फर्द अहकाम  
बनाम

उसी वकीलवादी व प्रति-सं.  
प्रति सं. 1, 8, 14 व 17 के  
अप्रीति सं. 2 ला 05,  
18 ला 03 का प्रत्युत्तर सं. 1  
प्रति सं. 1 ला 05, 7 ला 02  
25 एक तरफ का प्रतिकारी को  
अप्रीति सं. 6 व 13 को अलग-  
अलग अतिरिक्त अप्रीति-  
वादी पेशी पर अलग-अलग  
पत्र-सतः कस का दिया जायेगा  
24 को पेशावे।

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विरसुत रूप से	विशेष विवरण
31/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई वकील पार्थी उपस्थित कसु प्राथना-पत्र आस्थाई निर्दिष्टाज्ञा सुनी गई वदम वकील पार्थी व पत्रावली आ मय दस्तावेज अवलोकन करने पर इस न्यायालय द्वारा जारी अद्यत आदेशा दिनांक 31/11/23 को मूल वाद को निस्तारण तक पुनर्कर्म शिवादाता है पत्रावली केसल सुमार दीजर पत्र न सं-कम ही वाद तक मिल वाखिल दफतर ही।</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)  
साहब  
दिनांक 23/11/24

साहब  
दिनांक 26/11/24

वकीलवादी व प्रति-सं.  
अप्रीति सं. 6 व 13 की  
अप्रीति सं. 6 व 13 की  
वास्तु 947 डा. 05  
8/11/24 के प्रत्युत्तर

उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)  
वकीलवादी व प्रति-सं.  
अप्रीति सं. 6 व 13 की  
वास्तु 947 डा. 05  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

